न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. 29 / 2017

प्रार्थीगण–

1. चन्दनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. जवाराराम पुत्र तुलसाराम जाति कलबी निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. ग्राम पंचायत आसोतरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आसोतरा
2. भीमीया पुत्र गिरधारी जाति भील निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (लावारिस फोत)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 16 दिनांक 06.12.1975 जो ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 02 भीमीया के पक्ष मे निष्पादित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पुरूषोतम सोलंकी, श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्तागण प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. अप्रार्थीनी सं. 2 लावारिस फोत होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30 / 07 / 2019

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा विलेख सं. 16 दिनांक 06.12.1975 को निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत आसोतरा के द्वारा ग्राम आसोतरा मे आबादी भूमि मे से 150 वर्गगज क्षेत्रफल के भूखण्ड सं. 16 का पट्टा दिनांक 06.12.1975 को जारी कर आवंटित भूखण्ड पर 2 वर्ष से भीतर मकान निर्माण करने की अवधि निर्धारित की गई। ग्राम पंचायत की ओर से यह पट्टा अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों / लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि मे से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड हेतु जारी किया गया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी इस आवंटन के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

3. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया तथा निगरानीधीन रेकर्ड ग्राम पंचायत आसोतरा से मंगवाया गया, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आसोतरा पंचायत समिति बालोतरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.02.2019 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय मे कोई रेकर्ड उपलब्ध नही हैं।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम आसोतरा के खसरा नम्बर 541 रकबा 403—10 बीघा गैर मुमकीन ओरण की भूमि आई हुई है जो आबादी के नजदीक होने की वजह से तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आलौच्य पट्टा निःशुल्क जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने के समय उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर गैर मुमकीन ओरण थी जिसकी किस्म परिवर्तन कराये बिना पट्टा जारी करने का विधिवत अधिकार पंचायत को नही था। अप्रार्थी सं. 1 सरपंच ग्राम पंचायत आसोतरा द्वारा पंचायतीराज अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों को अनदेखा करते हुए उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 को आवंटित भूखण्ड पर आवंटन से लेकर आदिनांक तक कोई कब्जा व रहवास नही है। आलौच्य पट्टा विलेख पर केवल सरपंच ग्राम पंचायत आसोतरा के ही हस्ताक्षर अंकित हैं जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते हैं, इससे जाहिर होता हैं कि तत्कालीन सरपंच द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उक्त पट्टे ओरण भूमि पर जारी कर दिये है। आलौच्य पट्टा विलेख की पुश्त पर अंकित विशेष नोट मे 2 वर्ष के भीतर मकान निर्माण करने की शर्त अंकित की गई है जबकि आदिनांक तक उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण नही हैं ऐसे मे उक्त शर्त के उल्लंघन के फलस्वरूप भी पट्टा निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व आवंटित भूमि के मौका निरीक्षण की रिपोर्ट नही ली गई जिससे उक्त दिनांक को जारी पट्टों के नाप व पडौस भी मेल नही खाते हैं तथा न ही उक्त भूखण्ड की अवस्थिति

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मौके पर चिन्हित हो रही हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा पूर्णतया फर्जी एवं विधि विरूद्ध तरीके से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ओरण भूमि पर जारी किया गया हैं तो निरस्त योग्य हैं।

6. अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए इसके बावजूद भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। विवादित भूखण्ड के वर्तमान मौका कब्जा की रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से ली गई। तहसीलदार पचपदरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.02.2019 के द्वारा अवगत कराया हैं कि विवादित पट्टा अन्तर्गत भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 613 दिनांक 30.03.1984 के द्वारा आबादी दर्ज हुई हैं। वर्तमान जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 2936 / 541 रकबा 08–00 बीघा गे0मु0 आबादी दर्ज हैं। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कोई रहवास या मकानात नहीं बने हुए है तथा मौके पर खाली हैं। विवादित आराजी उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा द्वारा कुर्क की जाकर पुलिस थाना सिवाना की रिसीवरी मे रखी गई हैं।

7. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत आसोतरा द्वारा ग्राम आसोतरा की ओरण भूमि मे से भूखण्ड सं. 16 का आलौच्य पट्टा सं. 16 दिनांक 06.12.1975 को जारी किया गया हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन हैं कि आलौच्य पट्टाधीन भूमि मौके पर खाली पड़ी हैं तथा अप्रार्थीगण सं. 2 का कोई कब्जा नही हैं। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थी के अधिवक्ता के कथन ही ताईद होती हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिन्दु यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा दिनांक 06.12.1975 को जारी किया गया हैं जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार यह भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 613 दिनांक 30.03.1984 को गै0मु0 आबादी के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई हैं। इससे प्रकट होता हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि विधिवत रूप से ग्राम पंचायत के हक मे आबादी भूमि के रूप मे दर्ज होने से पूर्व ही अनियमित रूप से उक्त पट्टा विलेख जारी कर दिया गया हैं। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आसोतरा की रिपोर्ट अनुसार आलौच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय मे कोई रेकर्ड भी उपलब्ध नही

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं, न ही आलौच्य पट्टा मे ग्राम पंचायत के किसी संकल्प का ही ब्यौरा अंकित है, ऐसे मे बिना रेकर्ड का संधारण किये केवल पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया है जो अपूर्ण कार्यवाही के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया आलौच्य पट्टा अवैध, अनियमित अथवा अपूर्ण प्रकृति का होने से बहाल रखा जाना विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह **निगरानी** प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत आसोतरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा सं. 16 दिनांक 06.12.1975 निरस्त किया जाता हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर